

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-11042020-219036
SG-DL-E-11042020-219036

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66]	दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 3, 2020/चैत्र 14, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 427
No. 66]	DELHI, FRIDAY, APRIL 3, 2020/CHAITRA 14, 1942	[N.C.T.D. No. 427

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

dk;ky; vk;Dr % [kk]] vkifr! ,o miHkkDrk dk;ldyki
vf/k|lpuk

दिल्ली, 27 मार्च, 2020

I+Qk- 3%3%@,Q ,.M ,l@ih ,.M lh@2020@1523&1538-& उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II खण्ड 3 उपखण्ड (ii) में प्रकाशित निम्नलिखित अधिसूचना का.आ. 1197 (अ) दिनांक 21 मार्च, 2020, को एतद्वारा सामान्य जानकारी हेतु पुनः प्रकाशित किया जाता है।

^miHkkDrk ekey] [kk] vkj lkoitfud forj.k e=ky;

%miHkkDrk ekey: foHkkx%
vf/k|lpuk

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2020

dk-vk-1197%v%&केन्द्र सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उप-धारा 2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोविड-19 वायरस से होने वाले संक्रमण (इंफेक्शन) की रोकथाम के लिए मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई), मास्क, मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई) के उत्पादन में कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग

किए जाने वाले मेल्ट ब्लोन नोन-वोवन फैब्रिक और हैंड सैनिटाइजर की कीमतों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इस आदेश को मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई), मेल्ट ब्लोन नोन-वोवन फैब्रिक और हैंड सैनिटाइजर की कीमतों का निर्धारण आदेश, 2020 कहा जाएगा।

(2) यह शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. (1) मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई) के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले मेल्ट ब्लोन नोन-वोवन फैब्रिक की खुदरा कीमतें दिनांक 13.03.2020 से एक माह पहले की तारीख अर्थात् दिनांक 12.02.2020 को प्रचलित कीमतों से अधिक नहीं होंगी।

(2) मास्क (3 प्लाई सर्जिकल मास्क) की खुदरा कीमतें दिनांक 13.03.2020 से एक माह पहले की तारीख अर्थात् 12.02.2020 को प्रचलित कीमतों अथवा 10 रुपये प्रति मास्क, जो भी कम हो, और मास्क (2 प्लाई) की खुदरा कीमतें 8 रुपये प्रति मास्क से अधिक नहीं होंगी।

(3) हैंड सैनिटाइजर की कीमतें 200 मिलीलीटर की प्रत्येक बोतल के लिए रुपये 100/- से अधिक नहीं होंगी, हैंड सैनिटाइजर की अन्य मात्रा के लिए कीमतें इन कीमतों के यथानुपातिक आधार पर निर्धारित की जाएंगी।

3. यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से दिनांक 30 जून, 2020 तक की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी।

[फा.सं. एस.-26(1)/2020-ईसीआरएंडई]

अवधेश कुमार चौधरी, आर्थिक सलाहकार "

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अंकिता मिश्रा बुंदेला, सचिव-सह-आयुक्त

खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्यकलाप

DEPARTMENT OF FOOD SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 27th March, 2020

No. F.3(3)/F&S/P&C/2020/1523-1538.—The following Notification S.O.1197 (E) dated the 21st March, 2020 issued by Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3-sub-section (ii) is hereby republished for general information.

“MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2020

S.O. 1197(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section 2A and section 3, of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government, hereby makes the following Order, to regulate the prices of masks (2ply & 3ply), the Melt Blown non-Woven Fabric used as raw material in production of masks, masks (2ply & 3ply) and hand sanitizers for preventing infections due to COVID-19 virus namely:-

1. (1) This order may be called the fixation of prices of masks (2ply & 3ply), Melt Blown non-Woven Fabric and hand sanitizers Order, 2020.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. (1) The retail prices of Melt Blown non-Woven Fabric used in manufacturing masks (2ply & 3ply), shall not be more than the prices prevailing on the day one month prior to 13.03.2020 i.e. the prices prevailing on 12.02.2020.

(2) The retail prices of masks (3ply surgical masks), shall not be more than the prices prevailing on the day one month prior to 13.03.2020 i.e. as on 12.02.2020 or not more than Rs.10 per piece whichever is lower and that of mask (2ply) shall not be more than Rs.8 per piece.

(3) The retail prices of hand sanitizer shall not be more than Rs.100/- per bottle of 200ml the prices of other quantities of hand sanitizers shall be fixed in the proportion of these prices.

3. This Notification shall remain in force for a period up to 30th June, 2020 from the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No. S-26/1/2020-ECR&E]

A.K. CHOUDHARY, Economic Adviser”

By Order and in the Name of Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
ANKITA MISHRA BUNDELA, Secy.-cum-Commissioner
Food Supplies & Consumer Affairs Department